09 LSI CP POSTING 13/01/2014

DIG E

आदेश

मृतक के आश्रित सेवायोजन नियमावली 1974 के अधीन उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के बेसिक प्रशिक्षण हेतु चयनित एवं पी0टी0सी0 सीतापुर से सफलतापूर्वक बेसिक प्रशिक्षण पूर्ण किये निम्नलिखित महिला कैडेटों को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पुलिस अधिनियम की धारा–2 के अन्तर्गत वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 व ग्रेड वेतन रू0 4200 में नियुक्त किया जाता है। तदनुसार इन कैडेटों को एक वर्ष के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु इनके नाम के सम्मुख कालम–6 में अंकित जनपद एतदद्वारा आवंटित किया जाता है। इन्हे एक वर्ष के व्यवहारिक प्रशिक्षण की अवधि में सामान्यतः स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। उ0प्र0 उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 के नियम–20 में निहित परिवीक्षा के प्रावधानों के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु आगमन की तिथि से सामान्यतः 02 वर्ष के लिए परिवीक्षा काल पर रहेंगी, जो नियम–20 में निहित प्रावधानों के अनुरूप बढ़ाया जा सकता है:–

क0 सं0	चेस्ट नं0	कैडेट का नाम	पिता का नाम	गृह जनपद	आवंटित जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6
1	1	कु0 निदा अर्शी	स्व0हकीम अहमद	कौशाम्बी	लखनऊ
2	2	श्रीमती रंजना	स्व0जितेन्द्र कुमार	मुजफ्फरनगर	गाजियाबाद
3	3	सुरभि तोमर	स्व0शिवपाल सिंह तोमर	इटावा	अलीगढ़
4	4	कु0 ऋतु रानी	स्व0 सत्यपाल सिंह	अमरोहा	मुजफ्फरनगर
5	5	श्रीमती शशी सिंह	स्व0राज बहादुर सिंह	इलाहाबाद	वाराणसी
6	6	आराधना	स्व0 सुदामा	प्रतापगढ़	लखनऊ
7	7	सुमन दीक्षित	स्व0आनन्द शंकर दीक्षित	फतेहपुर	लखनऊ
8	8	कु0 पूजा यादव	स्व0रविन्द सिंह यादव	गाजीपुर	लखनऊ
9	9	बिन्देश देवी	स्व0 दिनेश कुमार	सहारनपुर	मुरादाबाद

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–।

संख्याःपॅाच–।।।(मृतक आश्रित प्रशिक्षण)2013/1510| दिनांकःजनवरी 13,2014

<u>प्रतिलिपि</u>ः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया वे जनपदों को आवंटित उप निरीक्षक कैडेटों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था संबंधित जनपदों में कराने की कृपा करें।

2. पुलिस महानिरीक्षक, पी0टी0सी0 सीतापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे प्रशिक्षणाधीन महिला उप निरीक्षक कैडेटों को निर्देशित करें कि वे आवंटित जनपदों में पी0टी0सी0 सीतापुर से कार्यमुक्त होने के उपरान्त अपना आगमन कराना सुनिश्चित करें। आपके कार्यालय से उपरोक्त कैडेटों के प्राप्त विकल्प पत्र मूल रूप में वापस भेजते हुए अनुरोध है कि इन्हें सम्बन्धित कैडेट की चरित्रपंजी में स्थायी अभिलेख हेतु चस्पा करके इसका उल्लेख चरित्रपंजी में करा दें।

3. पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी एवं बरेली जोन उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे उक्त कैडेटों को सामान्य परिस्थितियों/व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण होने से पूर्व आवंटित जनपदों से स्थानान्तरित न किया जाय। साथ ही यह भी अनुरोध है कि वे तत्काल फैक्स के माध्यम से अपने जोन के समस्त परिक्षेत्रों एवं जनपदों के पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र एवं वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद को अवगत कराने की कृपा करें।

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu